

फर्द अहकाम

सुरदारमल बनाम जीतराम

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या: 02/2021

5वा

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि.
	18/3/26	<p>पत्रावली पेश। व. 3/26 पण्डित वादने तन्नी दोष प्रतिकीप हेतु 27/3/26 को पत्रावली</p> <p>उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)</p>	2
	27/3/26	<p>पत्रावली पेश। वादी कि ओर से कोई उप. नहीं। न्यायालय समय के दौरान वार-2 आवाज लगाने पर भी वादी कि ओर से कोई उप. नहीं होने के कारण वारपत्र अदम दायरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली में कुल सुमार दोष एवं नम्बर से कम दो वारदक्षि रफ्तार है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)</p>	